नयी दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ) - सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एटदारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/97 - सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, सा. का. नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष, मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में, कॉलम (3) में, मद (vi) को और कॉलम (4) की उससे संबंधित प्रविधि को निर्दिष्ट किया जाएगा।

[फा. स. 450/91/2008 - सीमाशुल्क IV]

(राजीव रंजन)
निदेशक (पीएसी- सीमाशुल्क)

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना की अधिसूचना संख्या 12/97 - सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, सा. का. नि. 193 (अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997, के रूप में भारत के राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अतिम बार अधिसूचना संख्या 61/2018- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 11 जुलाई 2018, सा. का. नि. 622 (अ), दिनांक 11 जुलाई 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है।